



Tourism Finance Corporation of India Ltd.

4th Floor, Tower-1,
NBCC Plaza, Pushp Vihar
Sector-5, Saket,
New Delhi-110017

Tel. : +91-11-4747 2200
Fax : +91 11 2956 1171
E-mail : ho@tfciltd.com
Web : www.tfciltd.com

CIN : L65910DL1989PLC034812

TF/LISTING/25
June 7, 2025

BSE Ltd. Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai – 400 023 Scrip Code : 526650	National Stock Exchange of India Ltd. Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex, Banda (East), Mumbai – 400 051 Scrip Code : TFCILTD
---	---

Dear Sir,

Re: Newspaper Advertisement

Pursuant to Regulation 30 and 47 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, please find enclosed herewith the copies of Newspaper advertisement published in the "Financial Express" (in English version) and "Jansatta" (in Hindi version) on June 7, 2025 regarding notice to shareholders for transfer of unpaid/unclaimed dividend and equity shares, on which dividend has not been paid or claimed for seven consecutive years or more, of the Company to Investor Education and Protection Fund (IEPF) Account.

This is for your kind information and record.

Yours faithfully,

(Sanjay Ahuja)
Company Secretary

FORM G INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST FOR Beet & Crompton Engineering Projects Limited Operated in Installation of EPC Transmission Lines, Railway Electrifications and Setting Up of High Voltage Sub Stations at Various Location Pan India

The Singareni Collieries Company Limited (A Government Company) Regd. Office: Kothagudem-507101, Telangana E-PROCUREMENT TENDER NOTICE

TOURISM FINANCE CORPORATION OF INDIA LIMITED (CIN L65910DL1989PLC034812) Regd. Office: 4th Floor, Tower 1, NBCC Plaza, Sector V, Pushp Vihar, Saket, New Delhi-110 017, Phone: 011-29561180, 47472200

PUBLIC NOTICE Force Meters Limited Registered Office: Old Mumbai - Pune Hwy, Akurdi, Pune, Pimpri-Chinchwad, Maharashtra 411035, India

GUJARAT HOTELS LIMITED Regd. Office: WelcomHotel Vadodara, R C Dutt Road, Alkapuri, Vadodara - 390 007

NOTICE Transfer of unclaimed Dividend and Equity Shares of the Company to the Investor Education and Protection Fund

Notice is hereby given to the Shareholders (For transfer of unpaid/unclaimed dividend and equity shares of the Company to Investor Education and Protection Fund (IEPF) Account)

Notice is hereby given that the certificate(s) for the under mentioned securities of the Company has/have been lost/misplaced and the holder(s) of the said securities / applicant(s) has/have applied to the Company to issue duplicate certificate(s).

MANALI PETROCHEMICALS Manali Petrochemicals Limited Regd. Office: "SPIC House", 88, Mount Road, Guindy Chennai - 600 032. Tele/Fax: 044 - 2235 1098

NOTICE OF TRANSFER OF SHARES TO INVESTOR EDUCATION & PROTECTION FUND (IEPF) Pursuant to Section 124 of the Companies Act, 2013 read with Rule 6 of the IEPF Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016,

For Gujarat Hotels Limited Swati Company Secretary Date: 6th June, 2025

NOTICE OF AGM, E-VOTING AND BOOK CLOSURE Notice is hereby given that 31st Annual General Meeting of the Company ("AGM") of the Company will be held on Saturday, 28th June, 2025 at 11:00 AM (I.S.T) through Video Conferencing (VC) /Other Audio Visual Means (OAVM),

ROSSARI BIOTECH LIMITED Regd. Office : Rossari House, Golden Oak, LBS Marg, Surya Nagar, Opp. Mahindra Showroom, Vikhroli (West), Mumbai 400079

NOTICE OF THE 16th ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION Notice is hereby given that the 16th Annual General Meeting ("AGM") of Rossari Biotech Limited ("the Company") is scheduled to be held on Monday, June 30, 2025 at 04:30 P.M. (IST) through Video Conferencing ("VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM") facility,

As required under the proviso to Rule 6 (3) (a) of the said Rules, notices have been sent through post to the individual shareholders to the latest available address, giving therein the particulars of the shares required to be transferred to the IEPF.

Members are advised to lodge their claims in respect of the above by sending email at ghlinvestors@yahoo.co.in or by contacting Company's Registrar and Share Transfer Agent-M/s. MCS Share Transfer Agent Limited at 179-180, 3rd Floor, DSIDC Shed, Okhla Industrial Area, Phase-1, New Delhi- 110020,

The Company in accordance with the Regulation 36(1)(b) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 is also sending letter to shareholders who have not registered their email addresses with the Company by providing direct web link of the Annual Report and Notice.

Instructions for remote e-voting and e-voting during the AGM 1. Pursuant to the provisions of Section 108 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014,

RAINBOW CHILDREN'S MEDICARE LIMITED CIN: L85110TG31998PLC029914 Regd. Office: 8-2-120/103/1, Survey No. 403, Road No. 2, Banjara Hills, Hyderabad - 500034, Telangana.

NOTICE OF 27th ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERRING/ OTHER AUDIO-VISUAL MEANS Notice is hereby given that the Twenty-Seventh (27th) Annual General Meeting ("AGM") of the members of Rainbow Children's Medicare Limited ("the Company") will be held on Saturday, July 5, 2025 at 11:30 A.M. IST through Video Conferencing/ Other Audio Visual Means ("VC/OAVM") facility,

THE BOMBAY DYEING AND MANUFACTURING COMPANY LTD. (CIN: L17120MH18199PC00037) Registered Office: Neville House, J. N. Heredia Marg, Ballard Estate, Mumbai - 400001

NOTICE TO THE EQUITY SHAREHOLDERS FOR TRANSFER OF EQUITY SHARES OF THE COMPANY TO INVESTOR EDUCATION AND PROTECTION FUND (IEPF) AUTHORITY Notice is hereby given to the shareholders of The Bombay Dyeing and Manufacturing Company Limited ("Company") pursuant to the provisions of Section 124(6) of the Companies Act, 2013 read with Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 ("the Rules") (as amended).

The Company has engaged MUFG Intime India Private Limited as the authorised agency to provide e-voting facility. The details as required pursuant to the Act and Rules are as follows: 1. The cut-off date to determine eligibility to cast votes by electronic voting is Saturday, 21st June, 2025.

The relevant documents pertaining to the items of business to be transacted at the AGM are available for inspection through electronic mode, Members are requested to write to the Company at investors@rossari.com for inspection of said documents.

The AGM will be held through VC/ OAVM in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and applicable rules made thereunder, read with Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020, Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020, Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020 and subsequent circulars issued in this regard, the latest being Circular 09/ 2024 dated September 19, 2024 issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and circular no. SEBI/HO/CFD/CFD-POD-2/P/CIR/2024/133 dated October 3, 2024 issued by Securities and Exchange Board of India ("SEBI") and other applicable circulars issued in this regard (collectively referred as "Circulars"), permitting the holding of AGM through VC/OAVM without physical presence of members at a common venue.

The complete details of the concerned shareholders whose dividends are unclaimed for seven consecutive years and whose shares are due for transfer to IEPF on September 12, 2025 are available on the Company's website www.bombaydyeing.com under Investors Section -> IEPF Information -> Shares transferred to IEPF.

7. In case of any queries relating to voting by electronic means, please refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and InstaVote e-voting manual available at instavote.linkintime.co.in under Help section or send an email to enotices@in.mpmfsmfug.com or contact on: Tel: 022-49186000/4918 6000.

The Board of Directors has appointed Mr. Arvind Kumar Roy, Practising Company Secretary as the Scrutinizer for scrutinizing the remote e-voting and e-voting during the AGM in a fair and transparent manner.

Members may note that the Notice of 27th AGM and the Annual Report for the Financial Year 2024-25 will be available on the Company's website at https://www.rainbowhospitals.in/investors-relations/annual-reports and websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively. The Notice of 27th AGM will also be available on the website of National Securities Depository Limited ("NSDL") at www.evoting.nsdl.com.

In case the dividends are not claimed by the concerned shareholder(s) by September 2, 2025, necessary steps will be initiated by the Company to transfer dividend and shares held by the concerned shareholder(s) to IEPF without further notice in the following manner: In case the shares are held: - In physical form - Duplicate share certificate(s) in lieu of original share certificate(s) held by the shareholder, will be issued and transferred in favour of IEPF Authority on completion of necessary formalities.

8. The Board of Directors has appointed Mr. Arvind Kumar Roy, Practising Company Secretary as the Scrutinizer for scrutinizing the remote e-voting and e-voting during the AGM in a fair and transparent manner. The results of the remote e-voting and e-voting during the AGM shall be declared within two working days from the conclusion of the AGM. The results shall be published on the website of the Company and shall be communicated to the stock exchanges where the Company's shares are listed viz BSE and NSE.

The relevant documents pertaining to the items of business to be transacted at the AGM are available for inspection through electronic mode, Members are requested to write to the Company at investors@rossari.com for inspection of said documents.

For Rainbow Children's Medicare Limited Sd/- Shreya Mitra Company Secretary and Compliance Officer Date: June 6, 2025 Place: Hyderabad

For the BOMBAY DYEING AND MANUFACTURING COMPANY LTD. Place: Mumbai Date: 6th June, 2025 Sanjive Arora Company Secretary

Table with 2 columns: Login Type, Helpdesk Details. Rows include Individual Shareholders holding securities in demat mode with NSDL and Individual Shareholders holding securities in demat mode with CDSL.

For SMC Global Securities Limited Sd/- (Suman Kumar) E.V.P. (Corporate Affairs & Legal), Company Secretary & General Counsel Date: 6th June, 2025

The record date for determining the eligibility of Members for the payment of Final Dividend is Friday, June 20, 2025. The Final Dividend if approved would be paid to the eligible Members within 10 (ten) working days from the conclusion of 16th AGM.

For Rossari Biotech Limited Date : June 06, 2025 Place : Mumbai Sd/- Parul Gupta Head - Company Secretary & Legal Membership No.: A38895

SMC moneywise. be wise.

विकसित भारत का अमृत काल
सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के

11 साल

देश



मौसम की अनिश्चिता से सुरक्षित हुआ अन्नदाता

पीएम फसल बीमा योजना के तहत किसानों को मिली
₹1.75 लाख करोड़ की राहत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा

युवाओं को सशक्त बनाना अहम

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 6 जून।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 11 साल के कार्यकाल के दौरान शुरू किए गए कई कार्यक्रमों का हवाला देते हुए शुक्रवार को कहा कि उनकी सरकार की कई पहल इस हद विश्वास पर आधारित हैं कि युवाओं को सशक्त बनाना राष्ट्र द्वारा किया जा सकने वाला सबसे प्रभावशाली काम है।

मोदी ने 'एक्स' पर लिखा कि भारत के युवाओं ने वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। हमारी युवा शक्ति गतिशील, नवोन्मेषी और हृदय संकल्पित है। हमारे युवाओं ने बेजोड़ ऊर्जा और हृदय विश्वास के साथ भारत के विकास को गति दी है। मोदी ने कहा कि



मोदी ने 'एक्स' पर लिखा कि भारत के युवाओं ने वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। हमारी युवा शक्ति गतिशील, नवोन्मेषी और हृदय संकल्पित है।

उन्होंने कहा कि पिछले 11 साल में भारत में ऐसे युवाओं के उल्लेखनीय उदाहरण देखने को मिले हैं, जिन्होंने स्टार्टअप, विज्ञान, खेल, सामुदायिक सेवा, संस्कृति आदि सहित विभिन्न क्षेत्रों में 'अकल्पनीय' कार्य किए हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 11 वर्षों में युवा सशक्तीकरण

के उद्देश्य से नीति और कार्यक्रमों में निर्णायक बदलाव देखा गया है। 'स्टार्टअप इंडिया', 'स्किल इंडिया', 'डिजिटल इंडिया' और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जैसी सरकारी पहल इस हद विश्वास पर आधारित हैं कि युवाओं को सशक्त बनाना राष्ट्र द्वारा किया जा सकने वाला सबसे प्रभावशाली काम है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि युवा 'विकसित भारत' के निर्माण के प्रयासों को निरंतर मजबूत करते रहेंगे। मोदी ने 26 मई 2014 को पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी और तब से उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) ने दो और बार जीत हासिल की। उन्होंने पिछले साल नौ जून को तीसरे कार्यकाल के लिए शपथ ली थी।

भारत माता के चित्र का कोई आधिकारिक प्रारूप नहीं,
कार्यक्रम में इसकी अनुमति नहीं दे सकते : केरल सरकार

तिरुवनंतपुरम, 6 जून (भाषा)।

केरल की वामपंथी सरकार ने शुक्रवार को स्पष्ट किया कि यहां राजभवन में पर्यावरण दिवस समारोह में भारत माता के चित्र का इस्तेमाल करने को लेकर कोई सहमति नहीं जताई गई थी क्योंकि उनका कोई भी चित्र संविधान या भारत सरकार द्वारा आधिकारिक प्रारूप के तौर पर अधिकृत नहीं है। राजभवन में एक दिन पहले पर्यावरण दिवस के अवसर पर चित्र को रखे जाने को लेकर, आयोजित कार्यक्रम का बहिष्कार करने वाले केरल के कृषि मंत्री पी प्रसाद ने कहा कि संवैधानिक पदों पर बैठे लोग सरकारी कार्यक्रमों को राजनीतिक आयोजनों में नहीं बदल सकते।

इसी तरह राज्य के सामान्य शिक्षा मंत्री वी. शिवनकुट्टी ने भी कहा कि राजभवन और राज्यपाल राजनीति से ऊपर हैं और राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेंकर को अपने रुख से पीछे हट जाना चाहिए। सरकार का यह रुख राज्यपाल आलेंकर के उस बयान के एक दिन बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत माता पर किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। प्रसाद ने एक टीवी चैनल से बात करते हुए कहा था कि भारत माता के ऐसे किसी चित्र की जानकारी नहीं है जो आजादी के बाद संविधान या किसी सत्तासीन सरकार द्वारा उनका आधिकारिक प्रारूप बताया गया हो। उन्होंने कहा था कि कार्यक्रमों में जिस चित्र का इस्तेमाल किया जाना था, उस पर भारतीय ध्वज नहीं, बल्कि एक राजनीतिक संगठन का ध्वज था, इसलिए सरकारी कार्यक्रम के दौरान उसका सम्मान नहीं किया जा सकता।

मंत्री ने कहा कि विशेष राजनीतिक संगठन और राज्यपाल निजी कार्यक्रमों में चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन राज्य सरकार के कार्यक्रमों में ऐसा नहीं किया जा सकता। हम सभी का अपना राजनीतिक दृष्टिकोण होता है, लेकिन संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के लिए इसे व्यक्त करने के तरीके प्रतिबंधित होते हैं। वास्तव में हमारे देश में ऐसा नहीं दोहराया जाना चाहिए। हम केरल में इसे स्वीकार

ट्रिप्लम फाइनेंस कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
(सीआईएन: L65910D1989PLC034812)
पंजीकृत कार्यालय: नोबल टावर, फ्लोर 1, समवेदी रोड, गैरक्यू, युवा विहार, साकेत नई दिल्ली-110017, फोन: 011-29861180, 47472200
ईमेल: complianceofficer@tfciltd.com, वेबसाइट: www.tfciltd.com

शेयर धारकों को एतद्वारा सूचना दी जाती है
(निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि (आईईपीएफ) खाते में अप्रदत्त बेदावा लाभांश और कम्पनी के इक्विटी शेयरों के अन्तरण के लिए)

विषय: (1) अप्रदत्त / बेदावा रहे लाभांशों का दावा करने के लिए अनुस्मारक
(2) कम्पनी के बेदावा रहे इक्विटी शेयरों का आईईपीएफ खाते में अन्तरण
कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए), भारत सरकार द्वारा अधिसूचित आईईपीएफ प्राधिकरण (लेखांकन, लेखापरीक्षा, अन्तरण व धनवापसी) नियम, 2016 (नियम) के साथ पंजित कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के उपबन्धों के अन्तर्गत यह सूचना दी जाती है।

अधिनियम की धारा 124(5) के अनुसार, सात वर्ष की अवधि के लिए अप्रदत्त या बेदावा रहे सभी लाभांशों को कम्पनी द्वारा आईईपीएफ में अन्तर्गत किया जाना अपेक्षित है। जैसा कि अधिनियम और उसके नियमों के अधीन अपेक्षित है, वित्तीय वर्ष 2016-17 तक सभी वित्तीय वर्षों से सम्बन्धित अप्रदत्त या बेदावा रहे लाभांशों को आईईपीएफ में पहले ही अन्तर्गत किया जा चुका है।

नियमों के साथ पंजित अधिनियम की धारा 124(6) के द्वारा यह अपेक्षित है कि सभी शेयर, जिनके सम्बन्ध में लगातार सात वर्ष या इससे अधिक समय से लाभांश की अदायगी नहीं की गई है या दावा नहीं किया गया है, (सम्बन्धित शेयरों) कम्पनी द्वारा यथानिर्धारित विवरणों की विवरणिका सहित आईईपीएफ के नाम में अन्तर्गत किए जाएंगे।

ऐसे सभी शेयरों, जिनके सम्बन्ध में वित्तीय वर्ष 2016-17 तक लगातार सात वर्ष या इससे अधिक समय से लाभांश की अदायगी नहीं की गई है या दावा नहीं किया गया है, (सम्बन्धित शेयरों) को कम्पनी द्वारा आईईपीएफ के नाम में पहले ही अन्तर्गत कर दिया गया है, जिसके यथानिर्धारित विवरण कम्पनी की वेबसाइट www.tfciltd.com पर डाल दिए गए हैं। कम्पनी द्वारा दिनांक 13 मई, 2019, 6 जुलाई, 2020, 22 जून, 2021, 17 जनवरी, 2022, 12 जुलाई, 2022 एवं 5 जुलाई, 2023 तथा 15 जुलाई, 2024 तथा 5 जून, 2025 के पत्र द्वारा इसकी सूचना सभी को जलग अलग भेज दी गई है और एजीएम / ईजीएम के नोटिस द्वारा भी जिन शेयरधारकों के शेयर कुछ नियमों के अधीन आईईपीएफ में अन्तर्गत किए जाने हैं, को उपयुक्त कार्रवाई (कार्रवाईएं) करने के लिए इसकी सूचना दे दी गई है। जैसा कि अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन अपेक्षित है, कम्पनी के अप्रदत्त / बेदावा लाभांशों के पूर्ण विवरण कम्पनी की www.tfciltd.com वेबसाइट पर डाल दिए गए हैं।

आपसे अनुरोध है कि आप वर्ष 2017-18 से आगे के वर्षों के लिए आपके द्वारा अप्रदत्त/बेदावा रहे लाभांश, यदि कोई हों, के लिए अपना दावा ट्रिपलम फाइनेंस कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड या कम्पनी के रजिस्ट्रार एण्ड ट्रांसफर एजेंट के पास तत्काल प्रस्तुत करें।

यदि उपयुक्तानुसार हमें 25 जुलाई, 2025 तक लाभांश के लिए कोई दावा प्राप्त नहीं होता तो हम उक्त अधिनियम और नियमों की अपेक्षाओं के अनुपालन को ध्यान में रखते हुए, इस बारे में अगली कोई सूचना दिए बिना, नियमों में निर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए सम्बन्धित शेयरों को आईईपीएफ में अन्तर्गत कर देंगे। शेयरधारक कृपया नोट करें कि आईईपीएफ में सम्बन्धित शेयरों के ऐसे अन्तरण हो जाने के बाद, उसके अधीन उत्पन्न सभी मांगी ताम और मांगी लाभांश, यदि कोई हों, को आईईपीएफ में क्रेडिट कर दिया जाएगा।

इसके अतिरिक्त शेयरधारक कृपया यह भी नोट करें कि ऊपर निर्दिष्ट अन्तरण हो जाने के बाद, उक्त नियमों के उपबन्धों का अनुपालन करने पर ही आईईपीएफ के पास धनवापसी का दावा किया जा सकता है। कृपया नोट करें कि नियमों के अन्तर्गत आईईपीएफ में अन्तर्गत किए गए बेदावा लाभांशों और शेयरों के सम्बन्ध में कम्पनी के विरुद्ध कोई दावा नहीं किया जा सकता।

यदि शेयरधारकों को इस बारे में कोई प्रश्न पृष्ठना है तो वे कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय (या ई-मेल complianceofficer@tfciltd.com) या हमारे रजिस्ट्रार व शेयर ट्रांसफर एजेंट (एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड, यूनिट: टीएफसीआई लि, 179-180, तीसरा तल, डीएसआईडीसी रोड, ओल्हा इन्फ्रस्ट्रक्चर एण्ड डेवलपमेंट प्रा. फेज-1, नई दिल्ली- 110020 या ई-मेल admin@mcsregistrars.com या helpdeskdelhi@mcsregistrars.com) पर सम्पर्क कर सकते हैं।

कृते ट्रिपलम फाइनेंस कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
हस्ता./-
संज्ञक आहुदा
कंपनी सचिव

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 6 जून, 2025

उमरिया, 6 जून (भाषा)।

मध्यप्रदेश के उमरिया जिले के प्रसिद्ध बांधवगढ़ बाघ अभयारण्य के हृदयपर जोनहू में शुक्रवार को एक बाघ ने 40 वर्षीय एक महिला को नोंच-नोंच कर मार डाला। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

मानपुर वन रेंजर मुकेश अहिरवार ने बताया कि बाघ अभयारण्य के 'कोर एरिया' की सीमा से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर स्थित राखी गांव में सुबह करीब आठ बजे यह घटना हुई। उन्होंने बताया कि गुल्लकी बाई यादव

प्रपत्र सं. आईएनसी-26
(कंपनी (निगम) नियम, 2014 के नियम 30 के अन्तर्गत में)
केन्द्रीय सरकार के समक्ष (लेडीज निवेशक) अधिनियम 2014 के नियम 30 के अन्तर्गत में

खावड़ा IV सी पीएर ट्रांसमिशन लिमिटेड
CIN: U42202DL2022PL10420855
शिक्षा पंजीकृत कार्यालय: वाईसी को बकिंग स्ट्रेंथ, तीसरा तल, प्लॉट नंबर 94, हारका सेक्टर-6, नई दिल्ली-110075, इंडिया में पंजित है।

खावड़ा IV सी पीएर ट्रांसमिशन लिमिटेड
CIN: U42202DL2022PL10420855
शिक्षा पंजीकृत कार्यालय: वाईसी को बकिंग स्ट्रेंथ, तीसरा तल, प्लॉट नंबर 94, हारका सेक्टर-6, नई दिल्ली-110075, इंडिया में पंजित है।

खावड़ा IV सी पीएर ट्रांसमिशन लिमिटेड
CIN: U42202DL2022PL10420855
शिक्षा पंजीकृत कार्यालय: वाईसी को बकिंग स्ट्रेंथ, तीसरा तल, प्लॉट नंबर 94, हारका सेक्टर-6, नई दिल्ली-110075, इंडिया में पंजित है।

खावड़ा IV सी पीएर ट्रांसमिशन लिमिटेड
CIN: U42202DL2022PL10420855
शिक्षा पंजीकृत कार्यालय: वाईसी को बकिंग स्ट्रेंथ, तीसरा तल, प्लॉट नंबर 94, हारका सेक्टर-6, नई दिल्ली-110075, इंडिया में पंजित है।

नेस्ले इण्डिया लिमिटेड

(CIN: L15202DL1959PLC003786)

पंजीकृत कार्यालय: 100 / 101, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, बाराखम्बा लेन, नई दिल्ली - 110 001 ई-मेल: investor@in.nestle.com
वेबसाइट: www.nestle.in फोन: 011-23418891

कम्पनी के इक्विटी शेयरधारकों के ध्यानकर्षण हेतु

विषय: विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) प्राधिकरण के निर्दिष्ट डीमैट खाते में कम्पनी के इक्विटी शेयरों का अंतरण

यह सूचना कम्पनी अधिनियम, 2013, विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखांकन, संपरीक्षा, अंतरण और प्रतिदाय) नियम, 2016 और इनके सम्बद्ध परिपत्रों एवं संशोधनों ("आईईपीएफ नियम") के प्रावधानों के अनुसार प्रकाशित की जाती है कि सम्बद्ध शेयरधारकों को उनके शेयरों का, आईईपीएफ नियमों के अनुसार, आईईपीएफ प्राधिकरण के निर्दिष्ट डीमैट खाते में अंतरण करने के लिए सूचित किया जा रहा है, यदि वे शेयरधारक अपने ऐसे किसी लाभांश(शों) का नकदीकरण नहीं करते हैं जो कि अंतरण की अगली नियत तिथि 7 सितम्बर 2025 तक लगातार सात वर्षों से अप्रदत्त / दायरहित रहते हैं। नाम तथा फोनियोज नम्बर अथवा डीपी आईडी-क्लाइंट आईडी सहित ऐसे शेयरधारकों का विवरण कम्पनी की वेबसाइट www.nestle.in के Investors Section पर उपलब्ध है।

आईईपीएफ नियमों के अनुपालन में पहले से ही आईईपीएफ प्राधिकरण हस्तांतरित किए गए शेयरों / लाभांशों के लिए, शेयरधारक आईईपीएफ नियमों के तहत निर्धारित फॉर्म आईईपीएफ-5 में आईईपीएफ प्राधिकरण को ऑनलाइन आवेदन करके ऐसे शेयरों / लाभांशों का दावा कर सकते हैं और यह आईईपीएफ की वेबसाइट (www.iepf.gov.in) पर सभी विवरणों के साथ उपलब्ध है।

कृते नेस्ले इण्डिया लिमिटेड
प्रमोद कुमार राय
कम्पनी सचिव

दिनांक: 06-06-2025
स्थान: गुल्शान

दि न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, मुंबई

पंजीकृत एवं प्रधान कार्यालय: 87, एम. जी. रोड, फ्लोर्ट, मुंबई-400001

सीआईएन: L660000MH1919G1000526, आईआरडीए पंजीकृत संख्या: 190

फोन: +91 22 22708263, फॅक्स: +91 22 22652811

ईमेल: investors@newindia.co.in, वेबसाइट: www.newindia.co.in

कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों के ध्यानार्थ

कंपनी के इक्विटी शेयरों का निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष में स्थानांतरण

यह नोटिस निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, लेखा परीक्षा, स्थानांतरण एवं वापसी) नियम, 2016, यथा संशोधित ("नियम") के प्रावधानों के अनुसार प्रकाशित किया गया है। नियमों में, अन्य मामलों के साथ-साथ, उन सभी शेयरों को निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि में अन्तर्गत करने के प्रावधान हैं, जिनके संबंध में लगातार सात वर्षों तक लाभांश का भुगतान नहीं किया गया है या जिन पर दावा नहीं किया गया है।

इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि, दि न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ("कंपनी") को अपने शेयरधारकों द्वारा धारित इक्विटी शेयरों को, जिन्होंने उक्त शेयरों पर कम्पनी द्वारा भुगतान किए गए लाभांश का दावा नहीं किया है, उन्हें वित्तीय वर्ष 2017-18 से लगातार शिक्षा एवं संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में स्थानांतरित करना आवश्यक है, जो कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124(6) के साथ पंजित उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार है।

कंपनी ने आईईपीएफ को शेयरों के हस्तांतरण से बचने के लिए, 04 सितंबर, 2025 तक अपने अवैतनिक/अदावाकृत लाभांश का दावा करने के लिए संबंधित शेयरधारकों को व्यक्तिगत रूप से पहले ही एक पत्र भेजा है।

नियमों के नियम 6 के अनुसार, कंपनी ने ऐसे शेयरधारकों का प्रासंगिक विवरण अपनी वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिया है। शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने विवरण को सत्यापित करने के लिए वेब-लिंक www.newindia.co.in पर जाएं और 04 सितंबर, 2025 तक ऐसे लाभांश का दावा करें।

यदि कंपनी को 04 सितंबर, 2025 तक संबंधित शेयरधारकों से कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है, तो कंपनी नियमों में निर्धारित आवश्यकताओं का अनुपालन करने के उद्देश्य से आईईपीएफ को शेयरों का हस्तांतरण प्रारंभ करेगी।

शेयरधारक ध्यान दें कि दावा न किए गए लाभांश और आईईपीएफ को हस्तांतरित शेयर, जिसमें ऐसे शेयरों पर मिलने वाले सभी लाभ शामिल हैं, यदि कोई हों, तो नियमों के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद आईईपीएफ से उनका दावा किया जा सकता है। शेयरधारक कृपया ध्यान दें कि नियमों के अनुसार आईईपीएफ को हस्तांतरित शेयरों या लाभांश के संबंध में कंपनी के विरुद्ध कोई दावा नहीं किया जा सकता है।

किसी भी जानकारी के लिए शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे आरटीए मेसर्स एमयूएफजी इंडियन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, सी-101, 247 पार्क, एल. बी. एस. मार्ग, विक्रोली (पश्चिम), मुंबई-400083, दूरभाष नंबर +91 22 49186270, ईमेल आईडी iepf.shares@in.mppms.mufg.com से संपर्क करें।

दि न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के लिए
सही/-
अभिषेक पणालिया
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

स्थान: मुंबई
दिनांक: 1 जून, 2025

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
Indian Overseas Bank
आपकी प्रगति का स्वप्न साथी Good people to grow with
केंद्रीय कार्यालय, 763, अण्णा साहे, चेन्नै 600 002

शेयरधारकों को सूचना

शेयरधारकों को सूचित किया जाता है कि इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के शेयरधारकों की 25वीं वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) बुधवार, 02 जुलाई 2025 को प्रातः 11:00 बजे (आईएसटी) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/ अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) के माध्यम से कारपोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए), भारत सरकार और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी परिपत्रों के अनुपालन में निम्नलिखित कार्यों को संपन्न करने हेतु आयोजित की जाएगी:

सामान्य कार्य

1. 31 मार्च 2025 तक बैंक की लेखापरीक्षित स्टैंडअलोन और समेकित तुलन-पत्र, उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन और समेकित लाभ वहानि खाता और नकदी प्रवाह विवरण, खातों द्वारा कवर की गई अवधि के लिए बैंक के कामकाज और गतिविधियों पर निदेशकों की रिपोर्ट और तुलन-पत्र और खातों संबंधी लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर चर्चा, अनुमोदन और उसे अंगीकार करना है।

विशेष कार्य

1. बैंक के गैर-कार्यपालक निदेशक (सरकारी नामित निदेशक) के रूप में सुश्री नीलम अग्रवाल की नियुक्ति के लिए शेयरधारकों की स्वीकृति प्राप्त करना।

2. बैंक के अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में श्री दीपक शर्मा की नियुक्ति (पुनः नामांकन) के लिए शेयरधारकों की स्वीकृति प्राप्त करना।

3. बैंक के अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में श्री बी. चंद्र रेड्डी की नियुक्ति (पुनः नामांकन) के लिए शेयरधारकों की स्वीकृति प्राप्त करना।

4. बैंक के अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में श्री सुरेश कुमार रंगटा को नियुक्ति (पुनः नामांकन) के लिए शेयरधारकों की स्वीकृति प्राप्त करना।

5. वित्त वर्ष 2025-26 से वित्त वर्ष 2029-30 तक 5 वर्ष की लेखा परीक्षा अवधि के लिए बैंक के सचिवीय लेखा परीक्षक के रूप में मेसर्स श्री निधि श्रीधर एंड कंपनी सेक्रेटरी एसोसिएट्स की नियुक्ति के लिए शेयरधारकों की मंजूरी प्राप्त करना।

6. वित्तीय वर्ष 2025-2026 के दौरान फॉलो-ऑन पब्लिक ऑफर/राइट्स इश्यू/वोयस संस्थागत प्लेसमेंट/सेबी (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ और स्ट्रेट इक्विटी) विनियम, 2015 के अंतर्गत कर्मचारियों को शेयर जारी करना/एलआईसी और अन्य बीमा कंपनियों/म्यूचुअल फंड/क्यूआईबी की आधार पर शेयर जारी करना या किसी अन्य तरीके या संयोजन के माध्यम से एक या एक से अधिक किस्तों में ₹4,00,00,000 करोड़ (शेयर प्रीमियम सहित, यदि कोई हो) तक की इक्विटी शेयर पूंजी जुटाना है।

7. वित्त वर्ष 2025-2026 के लिए बैंक के बोर्ड द्वारा अनुमोदित पूंजी जुटाने की योजना के अनुसार, ₹4,00,00,00,000 (शेयर प्रीमियम सहित, यदि कोई हो) के कुल निर्गम आकार के भीतर ₹10 प्रत्येक के अंकित मूल्य के इक्विटी शेयरों की सृजन, अनुदान, पैकाज, जारी और आवंटित करना है, जिसमें से एक या एक अधिक श्रेणी में कर्मचारियों के माध्यम से अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक और नेमेलन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट पर जारी किया जा सकता, जिसे आगे आईओबी-ईएसपीएस 2025-26 के रूप में संदर्भित किया जाएगा।

यह नोटिस इण्डियन ओवरसीज़ बैंक (शेयर और बैंक) विनियम, 2003 (2008 तक संशोधित) के विनियम 56 (i) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रकाशित किया जा रहा है।

एमसीए ने अपने परिपत्रों के माध्यम से कंपनियों को शेयरधारकों की भौतिक उपस्थिति के बिना 30 सितंबर, 2025 तक की अवधि के लिए वीसी / ओएवीएम के माध्यम से अपनी एजीएम आयोजित करने की अनुमति दी है। सेबी (स्वीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 (सेबी सूचीकरण विनियम) और एमसीए परिपत्रों के प्रावधानों के अनुपालन में, 25वीं वार्षिक सामान्य बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) या अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित की जा रही है। इसलिए, शेयरधारक केवल वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकते हैं। बैठक में भाग लेने की विस्तृत प्रक्रिया वार्षिक सामान्य बैठक के नोटिस में बताई गई है। बैंक के केंद्रीय कार्यालय पता 763, अण्णा साहे, चेन्नै - 600 002 में बैठक का आयोजन माना जाएगा।

इस संबंध में एमसीए और सेबी द्वारा जारी परिपत्रों के अनुपालन में, 25वीं एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां बैंक के सभी शेयरधारकों को ई-मेल के माध्यम से भेज दी गई हैं, जिनकी ई-मेल आईडी डिपॉजिटरी / आरटीए / बैंक के पास पंजीकृत है। नोटिस की एक प्रति बैंक की वेबसाइट www.job.in, स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट यानी बीएसई लिमिटेड और नेमेलन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट क्रमशः www.bseindia.com और www.nseindia.com पर और ई-वोटिंग एजेंसी की वेबसाइट यानी <https://www.evotingindia.com> पर भी उपलब्ध है।

शेयरधारक कृपया ध्यान दें कि एमसीए परिपत्रों के अनुसार, बैंक शेयरधारकों को एजीएम नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रतियां नहीं भेजेगा। हालांकि, सेबी परिपत्र के अनुसार, उन शेयरधारकों को हार्ड कॉपी भेजी जाएगी जो इसके लिए अनुरोध करेंगे।

डीमैट मोड में शेयर रखने वाले शेयरधारकों और जिनके ई-मेल पते पंजीकृत नहीं हैं, उनसे अनुरोध है कि वे अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के माध्यम से अपने संबंधित डिपॉजिटरी के साथ अपने ई-मेल पते और मोबाइल नंबर पंजीकृत करवाएं।

भौतिक रूप से शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे <https://wisdom.cameoindia.com> (बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट, कैम्पियो कारपोरेट सर्विसेज लिमिटेड, सुब्रह्मण्यम बिल्डिंग, नंबर 1, क्लब हाउस रोड, चेन्नै- 600 002) लिंक पर क्लिक करके अपना ई-मेल पता और मोबाइल नंबर प्रदान करें।

सेबी (स्वीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियमन 44 के अनुसार, आपके बैंक ने 25वीं वार्षिक सामान्य बैठक में चर्चा किए जाने वाले कार्यसूची के लिए शेयरधारकों को एजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग और ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान करने के लिए सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) को नियुक्त किया है। अंतिम तिथि यानी बुधवार, 25 जून, 2025 को भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं।

डीमैट मोड, भौतिक मोड में शेयर रखने वाले शेयरधारकों और जिन्होंने अपना ई-मेल पंजीकृत नहीं कराया है, उनके द्वारा वोट डालने का तरीका और विवरण 25 वीं वार्षिक सामान्य बैठक की सूचना में उपलब्ध है।

रिमोट ई-वोटिंग की अवधि शुक्रवार, 27 जून, 2025 को प्रातः 9:00 बजे (आईएसटी) से शुरू होगी और मंगलवार, 1 जुलाई, 2025 को शाम 5:00 बजे (आईएसटी) समाप्त होगी और उसके बाद सीडीएसएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। अंतिम तिथि तक बैंक के शेयरधारक को भौतिक या डीमैट रूप में शेयर रखते हैं, वे इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट दे सकते हैं। जिन शेयरधारकों ने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोट नहीं किया है और उन्हें ऐसा करने से अन्याय प्रतिबंधित नहीं किया गया है, वे बैठक के दौरान ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से वोट करने के लिए पात्र होंगे।

कृपया ध्यान दें कि एक बार इलेक्ट्रॉनिक तरीके से वोट डालने के बाद, इसे संशोधित नहीं किया जा सकता है, या एजीएम में ई-वोटिंग में वोट नहीं डाला जा सकता है। हालांकि, शेयरधारक वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बैठक में भाग ले सकते हैं।

कोई भी व्यक्ति, जो कंपनी के शेयर प्राप्त करता है और वार्षिक सामान्य बैठक की सूचना भेजे जाने के बाद कंपनी का सदस्य बन जाता है और अंतिम तिथि तक शेयर धारण करता है, वह investor@jobnet.co.in पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है।

वीसी या ओएवीएम पर आयोजित होने वाली बैठक में, जहां सदस्यों की भौतिक उपस्थिति को समाप्त कर दिया गया है, बैठक में भाग लेने और मतदान करने के लिए हकदार सदस्य, अपने बदले बैठक में भाग लेने के लिए किसी प्रांक्स की नियुक्त करने के लिए पात्र नहीं हैं। हालांकि, बोर्ड कारपोरेट अपने बोर्ड संकल्प या शासी निकाय संकल्प/प्राधिकरण आदिको अपने पंजीकृत ईमेल पते के माध्यम से rsaevoting@gmail.com पर और बैंक को investor@jobnet.co.in पर बैठक की तारीख से कम से कम चार दिन पहले, यानी शुक्रवार, 27 जून, 2025 को शाम 4:00 बजे (आईएसटी) से पहले भेज सकते हैं।

किसी भी प्रश्न के लिए, आप www.evotingindia.com पर सहायता अनुभाग के अंतर्गत अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न ("एफएक्यू") और ई-वोटिंग मैनुअल देख सकते हैं या